

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07082026-275282
SG-DL-E-07082026-275282असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]	दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 157
No. 227]	DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948	[N. C. T. D. No. 157

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

[जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण) का कार्यालय]

प्रारंभिक अधिसूचना

दिल्ली, 6 अगस्त, 2026

फा. सं. DMS-S015/1/2026-LAC-DM(South)/E-3899/373-380 .— गृहमंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21.07.2015 की अधिसूचना संख्या एस ओ 2014 (ई), दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या एस ओ 2740 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 40(1) तथा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपयुक्त सरकार होने का नाते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान (सी ए पी एफ आई एम ए) की ओर जाने वाली

पहुंच सड़क के चौड़ी करण के लिए सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् राजस्व ग्राम सतबरी, उप-प्रभाग छतरपुर, जिला दक्षिण, दिल्ली में गौशाला सड़क के लिए कुल 8884.967 वर्ग मीटर भूमि की तत्काल आवश्यकता है।

इसलिए यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के लिए राजस्व ग्राम सतबरी, उप-प्रभाग छतरपुर, जिला दक्षिण, दिल्ली में कुल 8884.967 वर्ग मीटर माप वाली भूमि अधिग्रहणाधीन है, जिसका विस्तृत विवरण नीचे भूमि अनुसूची में दिया गया है:-

**भूमि की अनुसूची
(भूमि का विवरण)**

क्र०सं०	खसरासंख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधिग्रहण के अन्तर्गत क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम एवं पता	सीमाएँ			
						उ०	द०	पू०	प०
1	269 मिन	सरकारी	आंशिक रूप से निर्मित	1224.931	ग्राम सभा/बी डी ओ	खसरा संख्या 269 का शेष भाग	गौशाला सड़क	खसरा सं. 270	छतरपुर मुख्य सड़क
2	270 मिन	सरकारी	आंशिक रूप से निर्मित	1236.669	ग्राम सभा/बी डी ओ	खसरा संख्या 270 का शेष भाग	गौशाला सड़क	खसरा सं. 273	खसरा सं. 269
3	273 मिन	निजी	आंशिक रूप से निर्मित	1244.879	श्रीमती, मंजू गुप्ता पत्नी राज कुमार निवासी बी-10/7318, वसंत कुंज और गजेंद्र सिंह निवासी 62/16, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली.	खसरा संख्या 273 का शेष भाग	गौशाला सड़क	खसरा सं. 274	खसरा सं. 270
4	274 मिन	निजी	आंशिक रूप से निर्मित	1244.964	गजेंद्र सिंह निवासी 62/16, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली	ख. संख्या 274 का शेष भाग	गौशाला सड़क	खसरा सं. 275	खसरा सं. 273
5	275 मिन	निजी	आंशिक रूप से निर्मित	1241.131	श्रीमती कमलेश वासुदेव पत्नी एस. वासुदेव निवासी एस-313, पंचशील पार्क, नई दिल्ली	खसरा संख्या 275 का शेष भाग	गौशाला सड़क	खसरा सं. 293	खसरा सं. 274
6	293 मिन	निजी	आंशिक रूप से निर्मित	647.241	श्रीमती कमलेश वासुदेव पत्नी एस. वासुदेव निवासी एस-313, पंचशील पार्क, नई दिल्ली	ख. संख्या 293 का शेष भाग	गौशाला सड़क	खसरा सं. 295	खसरा सं. 275

7	295 मिन	निजी	खाली	46.246	श्री जे.एम. सहगल पुत्र रायबहादुर देवराज सहगल निवा सी डी-335, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली	खसरा संख्या 295 का शेष भाग	गौशाला सड़क	खसरा सं. 297/1	खसरा सं. 293
8	297/1 मिन	निजी	खाली	66.64	श्री जे.एम. सहगल पुत्र रायबहादुर देवराज सहगल निवा सी डी-335, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली	ख. सं. 297/1 का शेष भाग	गौशाला सड़क	खसरा सं. 298	खसरा सं. 295
9	298 मिन	निजी	खाली	76.06	मेसर्स निराकार प्रॉपर्टी एल एल पी, निवासी बी- 92, शिवालिक कॉलोनी और मेसर्स गोकुल रियल्टर्स (पी) लिमिटेड, निवासी 30, ओक ड्राइव, डी एल एफ, छतरपुर, नई दिल्ली	खसरा संख्या 298 का शेष भाग	गौशाला सड़क	खसरा सं. 299	खसरा सं. 297/1
10	299 मिन	निजी	खाली	79.07	मेसर्स गोकुल रियल्टर्स (पी) लिमिटेड, निवासी 30, ओक ड्राइव, डी एल एफ, छतरपुर, नई दिल्ली	ख. संख्या 299 का शेष भाग	गौशाला सड़क	खसरा सं. 313/1	खसरा सं. 298
11	313/1 मिन	निजी	खाली	106.103	सोहल लाल शर्मा पुत्र नानक चंद शर्मा निवासी 105, सेंगरिला हरमिंदर स्टेट, 7 बांग्ला, अंधारी वेस्ट, मुंबई	ख. सं. 313/1 का शेष भाग	गौशाला सड़क	खसरा सं. 314/1	खसरा सं. 299
12	314/1 मिन	निजी	खाली	197.95	मेसर्स बी जी इज फार्म्स एंड प्रॉपर्टीज (पी) लिमिटेड, निवासी ई-2, विजय नगर, दिल्ली	ख. सं. 314/1 का शेष भाग	गौशाला सड़क	खसरा सं. 319	खसरा सं. 313/1

13	401 मिन	निजी	चार दीवारी के भीतर खाली स्थान	264.766	1. श्री जसमोहन सिंह पुत्र लेफ्टिनेंट मनमोहन सिंह 2. श्रीमती गोना सिंह, निवासी ए-45, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली 3. डॉ. सुदेश गुप्ता पिता अमर नाथ गुप्ता, निवासी डी-41 डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली	गौशाला सड़क	खसरा संख्या 401 का शेष भाग	खसरा सं. 400	खसरा सं. 402
14	402 मिन	निजी	चार दीवारी के भीतर खाली स्थान	260.881	श्रीमती सरिता सरना, निवासी 148 जोर बाग, नई दिल्ली	गौशाला सड़क	खसरा संख्या 402 का शेष भाग	खसरा सं. 401	खसरा सं. 427
15	427 मिन	निजी	आंशिक रूप से निर्मित	260.955	श्रीमती अर्चना सिंघानिया पत्नी श्री अर्विग सिंघानिया, निवासी 20 सिंघानी फार्म हाउस, गौशाला रोड, सतबरी	गौशाला सड़क	खसरा संख्या 427 का शेष भाग	खसरा सं. 402	खसरा सं. 428
16	428 मिन	निजी	निर्मित	269.188	1. कृष्ण देव दीवान पिता दीप चंद, निवासी एफ-8/12, मॉडल टाउन, दिल्ली 2. हरभजन कौर पत्नी सोहन सिंह, निवासी 119, संत नगर, नई दिल्ली। 3. श्रीमती कृष्णा द्विवेदी पत्नी आर डी	गौशाला सड़क	खसरा संख्या 428 का शेष भाग	खसरा सं. 427	खसरा सं. 429

					द्विवेदी, निवासी- 1ई/136, लाजपत नगर, नई दिल्ली				
17	429 मिन	निजी	निर्मित	417.293	1. श्रीमती ज्ञान देवी पत्नी रोशन लाल, निवासी 107, यूसुफ सराय, नई दिल्ली। 2. गंगा राम पुत्र दुनाराम निवासी 105, यूसुफ सराय, नई दिल्ली। 3. मैसर्स गुलशन हाउस स्टोर मार्फत मदन लाल पुत्र करमचंद, निवासी आई-1030/1, गौतमनगर, नई दिल्ली। 4. कृष्णदेव दीवान पुत्र दीपचंद, निवासी 8/12, मॉडल टाउन, दिल्ली। 5. जसवन्त राय पुत्र राम किशन, निवासी 974 ए, वार्ड नंबर 7, महरौली। 6. सीता राम पुत्र नेकी राम, निवासी राजपुर खुर्द। 7. डालचंद पुत्र तुला राम साकिन देह।	गौशाला सड़क	खसरा संख्या 429 का शेष भाग	खसरा सं. 428	छतरपुर मुख्य सड़क

					8. श्रीमती चनिया पत्नी बेनी राम निवासी, नई दिल्ली।				
					9. श्रीमती सत्या गोयल पत्नी पी एस गोयल, निवासी एफ-176, कोटला मुबारक पुर				

वृक्ष		
क्र० सं०	खसरा संख्या	वृक्षों की संख्या
1	269 मिन	48 (लगभग)
2	273 मिन	25 (लगभग)
3	274 मिन	50 (लगभग)
4	275 मिन	12
5	293 मिन	8
6	297/1 मिन	3
7	298 मिन	13
8	299 मिन	22 (लगभग)
9	401 मिन	15 (लगभग)
10	402 मिन	17 (लगभग)
11	427 मिन	2

संरचनाएं			
क्र० सं०	खसरा संख्या	प्रकार	संख्या
1	269 मिन	अधिकतर स्थायी और एक टीन शेड संरचना	7 (1 तहखाना, 5 भूतल संरचना और 1 टीन शेड संरचना)
2	270 मिन	अधिकतर स्थायी और एक टीन शेड संरचना	6 (5 भूतल संरचना और 1 टीन शेड संरचना)
3	273 मिन	स्थायी संरचना	2 (2 भूतल संरचना)
4	274 मिन	स्थायी संरचना	5 (5 भूतल संरचना)

5	293 मिन	अधिकतर स्थायी और एक टीन शेड संरचना	5 ((3 भूतल संरचना, 01 टीन शेड संरचना और 01 दो मंजिला संरचना का आंशिक भाग))
6	402 मिन	स्थायी संरचना	1. चार दीवारी के भीतर ट्रांसफार्मर
7	427 मिन	स्थायी संरचना	1 (1 भूतल संरचना)
क्र० सं०	खसरा संख्या	प्रकार	संख्या
8	428 मिन	स्थायी संरचना	3 (1 भूतल संरचना का आंशिक भाग, 1 तीन मंजिला संरचना और 01 अस्थायी संरचना)
9	429 मिन	स्थायी संरचना	1 (तहखाना सहित भूतल संरचना का आंशिक भाग)

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 40 (1) तथा (4) के साथ पठित धारा 11 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत उन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

उपयुक्त सरकार एतद द्वारा उपायुक्त, जिला दक्षिण और उनके कर्मचारियों को उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित तथा विनिर्दिष्ट उनके कार्यों के समूचित निष्पादन हेतु अपेक्षित भूमि पर अपना स्वामित्व रखने तथा उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी स्तर पर भूमि का अधिग्रहण करने, भूमिगत खुदाई या बोरिंग करने और समस्त अन्य कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत करती है।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से ऐसी भूमि का कोई भी लेन-देन या भूमि के किसी लेन-देन का कारण अर्थात् बिक्री/खरीद आदि या ऐसी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा।

उपयुक्त सरकार का यह मत है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 की उपधारा (1), (2) और उपधारा (3) के प्रावधान उक्त अधिग्रहणाधीन भूमि पर लागू होते हैं तथा चूंकि यह भूमि धारा 40(2) के दायरे में आने वाले सार्वजनिक उद्देश्य के लिए तत्काल आवश्यक है, इसलिए उपयुक्त सरकार एतद द्वारा आगे अधिनियम की धारा 40(4) के अंतर्गत निर्णय लेते हुए निर्देश देती है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अध्याय- II, III, धारा 14 से 18, 31, 32, 38, 43, 44 और 47 के प्रावधान इस अधिग्रहण पर लागू नहीं होंगे तथा अधिनियम की धारा 11 उपधारा (1) के साथ पठित के 40(1) और (4) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के तत्पश्चात् किसी भी समय उपरोक्त भूमि के संबंध में धारा 19 के अंतर्गत घोषणा की जा सकती है।

यद्यपि, कलेक्टर (उपायुक्त), जिला दक्षिण, दिल्ली ने कोई निर्णय नहीं लिया है, फिर भी वह भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 21 में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से तीस दिनों की समाप्ति पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक किसी भी भूमि पर कब्जा कर सकता है तथा तब ऐसी भूमि सभी अतिक्रमणों से मुक्त होकर पूर्णतः सरकार में निहित हो जाएगी।

भूमि की योजना का निरीक्षण कार्य घंटों के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर उपायुक्त/कलेक्टर, जिला दक्षिण, दिल्ली और निदेशक (एल एम)-II, डी डी ए के कार्यालय में किया जा सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

श्री लक्ष्म सिंघल, आई ए एस, कलेक्टर (उपायुक्त)

REVENUE DEPARTMENT

[Office Of The District Magistrate (South)]

PRELIMINARY NOTIFICATION

Delhi, the 6th August, 2026

F. No. DMS-S015/1/2026-LAC-DM(South)/E-3899/373-380 .— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 11 read with section 40(1) and (4) of the Right to Fair Compensation and Transparencyst in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Notification No. S.O 2740(E) dated 21 October, 2014 read with S.O.2014(E) dated 21.07.2015 of Ministry of Home Affairs, Government of India, it appears to the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, being the Appropriate Government that a total of 8884.967 square meters of land is urgently required for public purpose, namely, for Gaushala Road in Revenue Village Satbari, Sub-Division Chattarpur, District South, Delhi for widening of approach Road leading to Central Armed Police Forces Institute of Medical Sciences (CAPFIMS) for Delhi Development Authority.

Therefore, it is notified that for the above said project in Revenue Village Satbari, Sub-Division Chattarpur, District South, Delhi a total land measuring 8884.967 square meters, whose detailed description is as follows, is given below in schedule of land is under acquisition:-

SCHEDULE OF LAND

(Specification of Land)

S. No	Kh. No.	Type of title	Type of land	Area under acquisition (in Sqm)	Name and address of person interested	Boundaries			
						N.	S.	E.	W.
1	269 min	Government	Partially Built up	1224.931	Gram Sabha/BDO	Remaining part of Kh. No. 269	Gaushala Road	Kh. No. 270	Main Chhatrpur Road
2	270 min	Government	Partially Built up	1236.669	Gram Sabha/BDO	Remaining part of Kh. No. 270	Gaushala Road	Kh. No. 273	Kh. No. 269
3	273 min	Private	Partially Built up	1244.879	Smt, Manju Gupta W/o Raj Kumar R/o B-10/7318, Vasant Kunj & Gajender Singh R/o 62/16, Kalkaji Extn. N.Delhi.	Remaining part of Kh. No. 273	Gaushala Road	Kh. No. 274	Kh. No. 270
4	274 min	Private	Partially Built up	1244.964	Gajender Singh R/o 62/16, Kalkaji Extn. New Delhi	Remaining part of Kh. No. 274	Gaushala Road	Kh. No. 275	Kh. No. 273
5	275 min	Private	Partially Built up	1241.131	Smt. Kamlesh Vasudewa W/o S. Vasudewa R/o S-313, Panchsheel Park, New Delhi	Remaining part of Kh. No. 275	Gaushala Road	Kh. No. 293	Kh. No. 274

6	293 min	Private	Partially Built up	647.241	Smt. Kamlesh Vasudewa W/o S. Vasudewa R/o S-313, Panchsheel Park, New Delhi	Remaining part of Kh. No. 293	Gaushala Road	Kh. No. 295	Kh. No. 275
7	295 min	Private	Vacant	46.246	Sh. J. M. Sehgal S/o Rai Bahadur Dev Raj Sehgal R/o D-335, Defence Colony, New Delhi	Remaining part of Kh. No. 295	Gaushala Road	Kh. No. 297/1	Kh. No. 293
8	297/1 min	Private	Vacant	66.64	Sh. J. M. Sehgal S/o Rai Bahadur Dev Raj Sehgal R/o D-335, Defence Colony, New Delhi	Remaining part of Kh. No. 297/1	Gaushala Road	Kh. No. 298	Kh. No. 295
9	298 Min	Private	Vacant	76.06	M/s Nirakar Property LLP R/o B-92, Shivalik Colony & M/s Gokul Realtors (P) Ltd. R/o 30, Oak Drive DLF, Chattarpur, New Delhi	Remaining part of Kh. No. 298	Gaushala Road	Kh. No. 299	Kh. No. 297/1
10	299 Min	Private	Vacant	79.07	M/s Gokul Realtors (P) Ltd. R/o 30, Oak Drive DLF, Chattarpur, New Delhi	Remaining part of Kh. No. 299	Gaushala Road	Kh. No. 313/1	Kh. No. 298
11	313/1 min	Private	Vacant	106.103	Sohal Lal Sharma S/o Nanak Chand Sharma R/o 105, Saingrila Harminder State, 7 Bangla, Andhari West, Mumbai	Remaining part of Kh. No. 313/1	Gaushala Road	Kh. No. 314/1	Kh. No. 299
12	314/1 min	Private	Vacant	197.95	M/s Bee Gee Ess farms & Properties (P) Ltd. R/o E-2, Vijay Nagar, Delhi	Remaining part of Kh. No. 314/1	Gaushala Road	Kh. No. 319	Kh. No. 313/1
13	401 min	Private	Vacant within boundary Wall	264.766	1.Sh. Jasmohan Singh S/o Lt. Manmohan Singh 2.Smt. Gona Singh R/o A-45, New Friends Colony, New Delhi 3.Dr. Sudesh Gupta S/o Amarnath Gupta R/o D-41 Defence Colony, New Delhi	Gaushala Road	Remaining part of Kh. No. 401	Kh. No. 400	Kh. No. 402
14	402 min	Private	Vacant within boundary Wall	260.881	Smt. Sarita Sarna R/o 148 Jor Bagh, New Delhi	Gaushala Road	Remaining part of Kh. No. 402	Kh. No. 401	Kh. No. 427

15	427 Min	Private	Partially Built up	260.955	Smt. Archana Singhania W/o Sh. Arving Singhania R/o 20 Singhani Farm House, Gaushala Road, Satbari	Gaushala Road	Remaining part of Kh. No. 427	Kh. No. 402	Kh. No. 428
16	428 Min	Private	Built up	269.188	1. Krishan Dev Diwan S/o Deep Chand R/o F-8/ 12, Model Town, Delhi 2. Harbhajan Kaur W/o Sohan Singh R/o 119, Sant Nagar, N. Delhi. 3. Smt. Krishna Dwivedi W/o R.D. Dwivedi R/o- 1E/136, Lajpat Nagar, New Delhi	Gaushala Road	Remaining part of Kh. No. 428	Kh. No. 427	Kh. No. 429
17	429 Min	Private	Built up	417.293	1. Smt. Gyan Devi W/o Roshan Lal R/o 107, Yusuf Sarai, New Delhi. 2. Ganga Ram S/o Duna Ram R/o 105, Yusuf Sarai, New Delhi. 3. M/s Gulshan House Store Marfat Madan Lal S/o Karamchand R/o I-1030/1, Gautam Nagar, New Delhi. 4. Krishan Dev Diwan S/o Deep Chand R/o 8/ 12, Model Town, Delhi. 5. Jaswant Ray S/o Ram Kishan R/o 974A, Ward No.7, Mehrauli. 6. Sita Ram S/o Neki Ram R/o Rajpur Khurd. 7. Dalchand S/o Tula Ram Sakin Deh. 8. Smt. Chaniya W/o Beni Ram R/o New Delhi.	Gaushala Road	Remaining part of Kh. No. 429	Kh. No. 428	Main Chattarpur Road

					9. Smt. Satya Goyal W/o P.S. Goyal R/o F-176, Kotla MubarakPur				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Trees		
S. No.	Kh. No.	Number of trees
1	269 Min	48 (Approx)
2	273 Min	25 (Approx)
3	274 Min	50 (Approx)
4	275 Min	12
5	293 Min	8
6	297/1 Min	3
7	298 Min	13
8	299 Min	22 (Approx)
9	401 Min	15 (Approx)
10	402 Min	17 (Approx)
11	427 Min	2

Structures			
S. No.	Kh. No.	Type	Number
1	269 Min	Mostly permanent and one teen shaded structure	7 (1 Basement, 5 Ground floor Structure & 1 Teen Shaded Structure)
2	270 Min	Mostly permanent and one teen shaded structure	6 (5 Ground floor Structure & 1 Teen Shaded Structure)
3	273 Min	Permanent Structure	2 (2 Ground floor Structure)
4	274 Min	Permanent Structure	5 (5 Ground floor Structure)
5	293 Min	Mostly permanent and one teen shaded structure	5 ((3 Ground floor Structure, 01 Teen Shaded Structure & partial part of 01 Double story structure))
6	402 Min	Permanent Structure	1 Transformer within boundary wall
7	427 Min	Permanent Structure	1 (1 Ground floor Structure)
S. No.	Kh. No.	Type	Number
8	428 Min	Permanent Structure	3 (Partial part of 1 Ground floor structure, 1 Triple story structure & 01 Temporary structure)
9	429 Min	Permanent Structure	1 (Partial part of 1 Ground floor structure with basement)

This notification is made under the provisions of Section 11(1) read with Section 40 (1) and (4) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), to all whom it may concern.

The Appropriate Government is pleased to authorize Deputy Commissioner, District South, and his staff to enter upon and survey land, take levels of any land, dig or bore into the sub-soil and do all other acts required for the proper execution of their work as provided and specified in Section 12 of the said Act.

Under Section 11(4) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, etc. or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification

without prior approval of the Collector.

The Appropriate Government being of the opinion that the provisions of sub section (1), (2) and sub-section (3) of Section 40 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 are applicable to said land under acquisition and since the land is urgently required for the public purpose falling within the purview of section 40(2), the Appropriate Government is further pleased to decide under section 40(4) of the Act and directed that the provisions of Chapters- II, III, Sections 14 to 18, 31, 32, 38, 43, 44 and 47 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 shall not apply to this acquisition and a declaration may be made under Section 19 in respect of the above land at any time after the date of publication of the preliminary notification under sub-section (1) of Section 11 read with 40(1) and (4) of the Act;

The Collector (Deputy Commissioner), District South, Delhi, though no award has been, may, on expiration of thirty days from the publication of the notice mentioned in Section 21 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, take possession of any land needed for a public purpose and such land shall thereupon vest absolutely in the Government, free from all encumbrances.

A plan of the land may be inspected in the office of the Deputy Commissioner/Collector, District South, Delhi and Director (LM)-II, DDA on any working day during the working hours.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

Sh. LAKSHAY SINGHAL, IAS, Collector (Deputy Commissioner)